पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 16/2021

1. अमरसिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। :—**वादी**

ब ना म

1. गुगनराम पुत्र श्री पन्ना जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. महावीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. मेवासिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. संतोष देवी पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। मृतक
7. सुभाषचंद्र पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
8. शर्मिला पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
9. विधादेवी पुत्री गुगनराम पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 12 की 1.770है0, खसरा सं0 174 की 10.509है0, खसरा सं0 198/3 की 2.529है0, खसरा सं0 286 की 5.944है0, खसरा सं0 555/1 की 2.732है0, कुल 23.484है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 7 सुभाषचंद्र पुत्र महेन्द्र सिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 9 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 सं0 2 ता 5 व 7 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अमरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 प्रतापसिंह, प्रतिवादी सं0 3 कृष्णकुमार, प्रतिवादी सं0 4 महावीर, प्रतिवादी सं0 5 मेवासिंह व प्रतिवादी सं0 7 सुभाषचंद्र पुत्र महेन्द्रसिह को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 16/2021

1. अमरसिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. गुगनराम पुत्र श्री पन्ना जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. कृष्ण कुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. महावीर पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. मेवासिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. संतोष देवी पत्नी स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। मृतक
7. सुभाषचंद्र पुत्र स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
8. शर्मिला पुत्री स्व0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
9. विधादेवी पुत्री गुगनराम पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी
वकील श्री प्रभूराम गोदारा: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 05.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 12 की 1.770है0, खसरा सं0 174 की 10.509है0, खसरा सं0 198/3 की 2.529है0, खसरा सं0 286 की 5.944है0, खसरा सं0 555/1 की 2.732है0, कुल 23.484है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता पन्ना की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त वादभूमि पैतृक कृषि भूमि एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। पन्ना के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम [illegible] तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है [illegible] भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है [illegible] हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उप[illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 व 7 ता 9 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 संतोष की दावा के दौरान मृत्यू हो चुकी है। जिसका मृत्यू प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु अमरसिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी कणाऊ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कणाऊ खाता सं0 61/62 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी संवत 2031–34 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में गुगनराम के छः पुत्र प्रतापसिंह, स्व0 महेन्द्रसिंह, कृष्ण कुमार, महावीर, मेवासिंह, अमरसिंह व एक पुत्री विधादेवी चूंकि महेन्द्रसिंह की मृत्यु होने के कारण जांयज वारिसान में स्व0 संतोष देवी पत्नी महेन्द्र सिंह, सुभाषचंद्र पुत्र स्व महेन्द्रसिंह, शर्मिला पुत्री महेन्द्रसिंह के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 12 की 1.770है0, खसरा सं0 174 की 10.509है0, खसरा सं0 198/3 की 2.529है0, खसरा सं0 286 की 5.944है0, खसरा सं0 555/1 की 2.732है0, कुल 23.484है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 व 7 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 9 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 सं0 2 ता 5 व 7 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 61/62 के खसरा सं0 12 की 1.770है0, खसरा सं0 174 की 10.509है0, खसरा सं0 198/3 की 2.529है0, खसरा सं0 286 की 5.944है0, खसरा सं0 555/1 की 2.732है0, कुल 23.484है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 गुगनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 7 सुभाषचंद्र पुत्र महेन्द्र सिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 9 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 सं0 2 ता 5 व 7 के पक्ष में व प्रतिवादी सं0 8 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अमरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 प्रतापसिंह, प्रतिवादी सं0 3 कृष्णकुमार, प्रतिवादी सं0 4 महावीर, प्रतिवादी सं0 5 मेवासिंह व प्रतिवादी सं0 7 सुभाषचंद्र पुत्र महेन्द्रसिंह को हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) RAS.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner